


फर्द अहकाम

नाम न्यायालय - सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान पूरा मल बनाम अशोक कुमार

मुकदमा संख्या 707/182/2022

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
05/08/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर। पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश हुई। उभयपक्षों की बहस व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन करने पर न्यायालय यह पाता है कि विवादित आराजी प्रार्थी/अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है। अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय-वस्तु को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 की भूमि ग्राम निवारु, भू0अ0नि0 क्षेत्र झोटवाडा, तहसील जयपुर स्थिति खसरा नम्बर 183 रकबा 0.0379 है0, खसरा नम्बर 186 रकबा 0.7588 है0, खसरा नम्बर 186/533 रकबा 0.7461 है0, खसरा नम्बर 192 रकबा 0.0379 है0 पर उभयपक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद करता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया जावे।</p> <p>निर्णय आज दिनांक <u>05/08/2024</u> को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो।</p>	


सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम